[2020] 1 एस. सी. आर. 453

इन्दु बाई एंड ओआरएस।

वी.

तेलंगाना राज्य और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 483)

21 जनवरी, 2020

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

किरायेदारीः

भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद विस्थापित व्यक्तियों को विचाराधीन भूमि का आवंटन-राज्य सरकार द्वारा चुनौती दी गई

विभाजन पूर्व किरायेदार होने का दावा करने वाले अपीलार्थियों द्वारा भी चुनौती दी गई उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की अपील द्वारा चुनौती को बरकरार रखाः अपीलार्थियों की रिट याचिका में चुनौती

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विभाजन से पहले के किरायेदार होने के किसी भी अधिकार की स्थापना की मांग नहीं की जानी थी-इसलिए, मामला कानून के अनुसार रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 483

तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.02.2016 से 2006 की रिट याचिका संख्या 14066 में आंध्र प्रदेश।

के साथ

सिविल अपील सं। 477-478 , 486-487 , 492-493 , 568 , 569-570 , 571-572 , 573 , 479-480 , 481 2020 से। गुरु कृष्ण कुमार, पल्लव सिसोदिया, रंजीत कुमार, सी. एस. वैद्यनाथन, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मुल्लापुडी रामबाबू, एन. ईश्वर राव, सुश्री प्रीति कुमारी, सुश्री विजयश्री पटनायक, बी. के. प्रसाद, मेसर्स। एम. रामबाबू एंड कंपनी, सौरभ मिश्रा, अभिषेक सिंह, सुश्री समृद्धि पाल, सुश्री आशना भाटिया, श्रीनिवास राव पुतलुरी, वरुण ठाकुर, त्रिपुरारी रॉय,

सुश्री श्रद्धा सरन, वरिंदर कुमार शर्मा, हितेंद्र नाथ रथ, डॉ. ई. शेषगिरी राव, जी. वी. आर. चौधरी, के. शिवराज चौधरी, हर्ष सिंघल, हितेश कुमार शर्मा, ए. सुधाकर राव, काकरा वेंकट राव, तन्मया अग्रवाल, टी. वी. रत्नम, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत के. त्यागी, पी. श्रीनिवास

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रेड्डी, राजा राम, मेसर्स। वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स, प्रशांत सिंह, ए. के. कौल, राज बहादुर यादव, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

अभिनिर्धारित किया कि केंद्र सरकार ने राज्य को भूमि हस्तांतरित कर दी है सरकार और यह कि राज्य विस्थापितों के बसने के लिए भूमि आवंटित कर सकता है

लोग।

3. अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे रंगा रेड्डी जिले के पोपपालगुडा गाँव में स्थित भूमि पर विभाजन से पहले के किरायेदार हैं। द.

अपीलार्थियों की शिकायत है कि जब राज्य ने 25 अप्रैल, 2016 को नीलामी नोटिस जारी किया तो उनके कब्जे में बने रहने के अधिकार को खतरे में डाल दिया गया है।

4. इस न्यायालय ने 22 अक्टूबर, 2019 के अपने फैसले में ऐसा नहीं किया है

कथित विभाजन पूर्व किरायेदारों के दावे की जांच की। रमेश परसराम मलानी के मामले में इस अदालत ने उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरण ऐसी हस्तांतरित भूमि को मुआवजे के पूल से बाहर ले जाता है। निम्नलिखित पैरा में इस न्यायालय की टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के संदर्भ में हैं, जो निम्नानुसार हैः

" 31. हालाँकि, हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरण ऐसी हस्तांतरित भूमि को मुआवजे के पूल से बाहर ले जाता है। राज्य सरकार को हस्तांतरित की गई भूमि अभी भी क्षतिपूर्ति पूल का हिस्सा बनी हुई है, लेकिन इसका निपटान राज्य के उन अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक है जिनके पास है।

केवल विस्थापित व्यक्तियों के निपटारे के लिए प्रबंध अधिकारी या निपटान आयुक्त की शक्तियां प्रदान की गई हैं। विस्थापित व्यक्तियों के बसने के बाद ही राज्य सरकार अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग कर सकती है। इन्दु बाई एंड ओआरएस।

वी. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

5. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. से उत्पन्न सिविल अपीलों में। 23613-23614 2016 का, रिट याचिका संख्या में उच्च न्यायालय का आदेश। 29274 2014 का वर्ष और 2014 का वर्ष 29,36 चुनौती का विषय है।

उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने रमेश परसराम मलानी (2019 की सिविल अपील संख्या 7477 में अपीलार्थी) को भूमि के आवंटन को चुनौती दी है और यह भी दावा किया है कि पट्टा विभाजन से पहले के किरायेदार थे। अपीलार्थियों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत का दावा किया हैः

" ..... उत्तरदाता संख्या 1 से 5 को पट्टा अधिकार देने का निर्देश दें।

एसी को मापने वाले विषय की भूमि। 18.00 जी. टी. एस. साइ में। नं. 301,303,327, रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के पोपपालगुडा गांव में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्थित है।

6. विशेष अनुमति याचिकाओं (सी. सी. सं.) से उत्पन्न दीवानी अपीलों में। 15550-15551 2016), अपीलकर्ताओं ने हस्तक्षेप न करने के लिए अंतरिम निर्देशों का दावा करने के लिए विविध आवेदन दायर किया है रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के पोपपालगुडा गांव की सर्वेक्षण संख्या 331 में शामिल भूमि पर अपीलार्थियों का कब्जा और आनंद। इसलिए, रिट याचिकाओं में चुनौती अपीलार्थियों के विभाजन से पहले के किसी भी अधिकार की स्थापना की मांग करना नहीं था।

किरायेदार।

7.अन्य अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने भूमि सौंपने के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए रिट अधिकार क्षेत्र या किसी अन्य सक्षम मंच का उपयोग नहीं किया है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी, 2016 का आदेश पारित किया गया

उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका सं। 29274 2014 की धारा और 2014 की धारा 29,436 को दरकिनार कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। अन्य सभी अपीलार्थी कानून के अनुसार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऐसी अन्य अधिकारिता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं जो उनके लिए उपलब्ध हो।

9. सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

गृह सचिव (जेल) और ओआरएस।

वी.

एच. निलोफर निशा

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 144)

23 जनवरी, 2020

[एस. अब्दुल नजीर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

लिखते हैं:

बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन-चाहे वह बनाए रखने योग्य हो-किसी व्यक्ति की समय से पहले रिहाई के लिए, सरकारी आदेशों/नियमों द्वारा समय से पहले रिहाई की योजना के संदर्भ में, जो सजा से गुजर रहा है।

सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास

आयोजित किया गया: बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख राज्य या किसी निजी व्यक्ति द्वारा नागरिक की गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण नजरबंदी से स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक लेख है-ऐसी रिट वहां नहीं होगी जहां हिरासत कानून की अदालत के निर्णय के अनुसार या कानून के अनुसार किसी प्राधिकरण द्वारा है-वर्तमान मामले में, हिरासत में लिए गए लोगों को आजीवन कारावास में रखा गया है, उनकी नजरबंदी को अवैध नहीं कहा जा सकता है-अदालत छूट या पैरोल देने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है जो संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है-उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं जो संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है-नियम संविधान को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं-उच्च न्यायालय के लिए सक्षम लोगों को पहले निर्देश दिए बिना सरकारी आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं को सीधे रिहा करना सही नहीं था। मामले में निर्णय लेने का अधिकार-2 बंदियों के संबंध में

राज्य/सक्षम प्राधिकारी को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है-उनके संबंधित मामलों के तथ्यों में अन्य बंदियों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट उन सभी मामलों में एक उपचार के रूप में उपलब्ध है जहां कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है। यह गैरकानूनी या अनुचित हिरासत से नागरिक की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए प्रक्रियात्मक रिट है, चाहे कोई व्यक्ति राज्य द्वारा हिरासत में लिया गया हो या निजी हिरासत में हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट उस व्यक्ति की हिरासत या कारावास में नहीं होगा जिसकी रिहाई है

माँगा गया कानून की अदालत या कानून के अनुसार किसी प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार है। [पैरा 14] [468-ए-सी] 1.2 बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट केवल तभी जारी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को हिरासत या कारावास के अधिकार के बिना हो।

कानून। हालांकि लैटिन वाक्यांश हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ

1.3 वर्तमान मामलों में, बंदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इस तरह उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अवैध कहा जाता है। यह निर्णय करना रिट अदालत का काम नहीं है कि कोई कैदी पैरोल या छूट का हकदार है या नहीं और ये मामले पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। [पैरा 18] [469-बी]

मारू राम बनाम। भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी 107: [1981]

1 इसके बाद एस. सी. आर. 1196 आया।

कर्नल डॉ. बी. रामचंद्र राव बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य। (1972) 3 एस. सी. सी. 256; कानू सान्याल बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग (1973) 2 एस. सी. सी. 674: [1974] 1 एससीआर 621; मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य

और अन्य (2013) 1 एस. सी. सी. 314: [2012] 8 एससीआर 993; सौरभ कुमार बनाम। जेलर, कोनेला जेल (2014) 13 एस. सी. सी.

436 [2014] 8 एससीआर 909; महाराष्ट्र राज्य [2020] 1 एस. सी. आर.

और अन्य वी। तसनीम रिज़वान सिद्दीकी (2018) 9 एस. सी. सी. 745: [2018] 11 एससीआर 374; गोपाल विनायक गोडसे बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य [1961] 3 एससीआर

440 पर भरोसा किया। सुनील बत्रा (द्वितीय) बनाम। दिल्ली प्रशासन (1980) 3 एस. सी. सी. 488 [1980] 2 एस. सी. आर. 557। इकराम वी. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1625: [1964] एससीआर 86; रंजीत सिंह बनाम।

पेप्सू एयर 1959 एस. सी. 843 की स्थितिः [1959] पूरक। एस. सी. आर. 727; उम्मू सबीना बनाम। केरल राज्य (2011) 10 एस. सी. सी. 781 [2011] 13 एस. सी. आर. 185; मधु के मामले में

लिमये और अन्य (1969) 1 एस. सी. सी. 292 [1969] 3

एस. सी. आर. 154; तालिब हुसैन बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (1971) 3 एस. सी. सी. 118; संजय दत्त बनाम राज्य (II) (1994) 5 एस. सी. सी. 410: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 263-संदर्भित।

ए. वी. डाइसी, मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय, पी। 215 (1915) ; हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, (चौथा संस्करण) खण्ड. 11 ; वी. जी. रामचंद्रन का लेखन का नियम, न्यायमूर्ति द्वारा संशोधित

सी. के. ठक्कर और एम. सी. ठक्कर, छठी शाखा। (2006) -

संदर्भित किया गया।

2. छूट या पैरोल का अनुदान कैदी के पास निहित अधिकार नहीं है। यह कैदी के लिए उपलब्ध एक विशेषाधिकार है

कुछ शर्तों को पूरा करना। यह एक विवेकाधीन शक्ति है जिसका उपयोग ऐसी शक्तियों से सम्मानित अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

संबंधित नियमों/विनियमों के तहत। न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, हालांकि एक बार शक्तियों का प्रयोग होने के बाद, न्यायालय ने कहा

यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि शक्तियों का प्रयोग नियमों के अनुसार नहीं है। [पैरा 27] [473-डी-ई]

3.1 उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार है लेकिन यह शक्ति विषय है।

भारत के संविधान के प्रावधानों और उपयुक्त विधानमंडल के किसी भी कानून के प्रावधानों के लिए। रिट के बारे में क्या विवरण दिया जाना है, यह उच्च न्यायालय को तय करना है। लेकिन नियम

अधिकारिता प्रदान नहीं कर सकता है जो द्वारा प्रदत्त नहीं है

संविधान। नियम स्पष्ट रूप से हिरासत/निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित हैं जहां बंदी हिरासत में है।

3.2 यदि नियमों को संविधान के बजाय स्वामी होना है, तो संभवतः मद्रास उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के किसी भी रिट पर विचार नहीं किया जाएगा। नजरबंदी। यह भारत के संविधान की भावना के खिलाफ होगा। इसलिए, नियमों का संदर्भ किसी भी तरह से सहायक नहीं है। [पैरा 30] [476-बी]

4.1 उच्च न्यायालय जी. ओ. के तहत किसी याचिकाकर्ता की रिहाई का निर्देश नहीं दे सकता है। (सुश्री) No.64 दिनांकित 01.02.2018। वर्तमान मामलों में, बंदियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया था। न्यायालय के लिए उचित मार्ग यह निर्देश देना था कि बंदियों के प्रतिनिधित्व पर कम समय के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योजना में परिवीक्षा अधिकारी की एक रिपोर्ट, जिला स्तरीय समिति द्वारा एक संदर्भ की परिकल्पना की गई है और उसके बाद मामले को संबंधित रेंज उप महानिरीक्षक और क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष और उसके बाद राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाना है, उस समय के आधार पर दो से तीन महीने का अनुदान देना उचित होगा जब राज्य को उनसे निपटने के लिए अभ्यावेदन दायर किया गया था। जब याचिका अभ्यावेदन दाखिल करने से कुछ दिन पहले दायर की जाती है तो न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए 3 महीने तक का समय देना उचित हो सकता है। हालाँकि, यदि अभ्यावेदन कुछ महीने पहले दायर किया जाता है और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध है तो कम समय दिया जा सकता है। कोई कठोर और त्वरित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन न्यायालय को प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य को उचित समय देना चाहिए। न्यायालय स्वयं इस स्तर पर योजना के तहत रिहा किए जाने के लिए बंदी की पात्रता की जांच नहीं कर सकता है। [पैरा 31] [476-सी-जी]

4.2 विभिन्न कारक हैं जिन पर समितियों को विचार करना होता है। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट केवल

उनमें से एक। उसके बाद, जिला समिति को एक [2020] 1 एस. सी. आर. बनाना होगा।

सिफारिश और अंत में यह राज्य स्तरीय समिति है जो इस मामले पर अंतिम निर्णय लेती है। उच्च न्यायालय ने पहले सक्षम प्राधिकारी को मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिए बिना बंदियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश देने में गलती की। केवल इसलिए कि मद्रास उच्च न्यायालय में लंबे समय से इस प्रकार के रिट जारी करने की प्रथा का पालन किया जा रहा है, यदि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना हैं तो इन आदेशों को वैधता के साथ नहीं पहना जा सकता है।

पूर्व अभ्यास या यह तथ्य कि राज्य ने कुछ आदेशों को चुनौती नहीं दी है, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ये आदेश कानूनी हैं। [पैरा 31] [476-जी; 477-ए-बी]

जी. ओ. के संदर्भ में उसे रिहा करने के लिए याचिकाकर्ता। (सुश्री) No.64 दिनांकित 01.02.2018 न्यायालय के आदेशों के बावजूद। यदि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो न्यायालय को मामले के रिकॉर्ड को फिर से बुलाना और नीति के संदर्भ में उसी की जांच करना और फिर आदेश पारित करना उचित होगा। [पैरा 32] [477-बी-एफ] 5. जहाँ तक वर्तमान मामलों का संबंध है, उच्च न्यायालय के पास यद्यपि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट उसके समक्ष थी, गृह सचिव (कारागार) v है।

एच. निलोफर निशा

परिवीक्षा अधिकारी के आदेश की केवल एक पंक्ति का उल्लेख किया गया है न कि पूरी रिपोर्ट का। [पैरा 33] [477-जी]

6. बंदी ने 2020 की आपराधिक अपील संख्या 144 में विभिन्न डिग्री और विभिन्न अन्य व्यावसायिक डिप्लोमा प्राप्त किए हैं। जेल में उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, उसका उपयोग बाहर किया जाना चाहिए। जेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जेल में उसका व्यवहार संतोषजनक रहा है। उसके खिलाफ एकमात्र आधार यह है कि उसने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या की थी और इसलिए कहा जाता है कि

कुछ धार्मिक शत्रुता अभी भी प्रबल हो सकती है। यह रिकॉर्ड में आया है कि कई मौकों पर, वह पुलिस सुरक्षा में अपने पैतृक स्थान पर वापस चला गया है। इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस प्रतिवादी को मुकदमे के दूसरे दौर में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी/बंदी को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 35] [480-ए-सी]

7. 2020 की आपराधिक अपील संख्या 145 में बंदी की आयु अब लगभग 43 वर्ष है और वह कारावास की अवधि के दौरान

जेल में, उन्होंने ग्यारह शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं। वह 42 बार (89 दिन) आपातकालीन छुट्टी पर गए थे और अदालत के आदेश से, उसे 2 (37 दिन) बार छुट्टी दी गई है और उक्त अवसरों के दौरान, न तो उसे जान का खतरा था और न ही कोई कानून और व्यवस्था की समस्या थी। इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां उसे मुकदमे के दूसरे दौर में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी रिहाई का निर्देश दिया जाता है। [पारस 36 और 37] [480-ई; 481-सी-डी]

उन्होंने तीन शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस प्रतिवादी को मुकदमे के दूसरे दौर में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी रिहाई का निर्देश दिया जाता है। [पारस 38 और 39] [481-डी-जी] 9. 2020 की आपराधिक अपील संख्या 148 में बंदी की उम्र अब लगभग 39 वर्ष है और जेल में कारावास की अवधि के दौरान, उसने सात शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।

सात शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरे कर चुके हैं। इस मामले में बंदी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 (बी) के तहत एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया था और जेल की सजा सुनाई गई थी। 5 वर्ष और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 (ए) और 4 (बी) के तहत दोषी ठहराया गया था और 5 साल का पुरस्कार दिया गया था।

इन धाराओं में से प्रत्येक के तहत कारावास और 4 साल की कैद दिनांक 28.12.2018 के फैसले के अनुसार। दोषसिद्धि और सजा का यह निर्णय जी. ओ. की तारीख के बाद होता है। (सुश्री) नंबर 64 दिनांकित 01.02.2018 विचाराधीन है और इसे भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, जहां तक इस मामले का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और 6 सप्ताह के भीतर इसका फैसला करने का निर्देश दिया जाता है। यदि राज्य बंदी की याचिका को अस्वीकार कर देता है तो एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होगा और उस स्थिति में बंदी उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य को इस निर्णय की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। [पारस 42,43 और 45] [482-ई-एच; 483-ए-सी, एफ]

मामला कानून संदर्भ

[1964] एससीआर 86

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1980] 2 एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

(1972) 3 एससीसी 256

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1974] 1 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2012] 8 एससीआर 993

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[2014] 8 एससीआर 909

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[1959] पूरक। एससीआर 727

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2011] 13 एससीआर 185

संदर्भित किया गया है

पैरा 23 गृह सचिव (जेल) v. एच. निलोफर निशा

[1969] 3 एससीआर 154

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

(1971) 3 एससीसी 188

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1994] 3 पूरक। एससीआर 263

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2018] 11 एससीआर 374

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[1961] 3 एससीआर 440

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1981] 1 एससीआर 1196

पीछा किया।

पै

रा 26

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2010 का सं. 144।

उच्च न्यायालय के 04.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के एच. सी. पी. सं. 2956 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 145 , 146 , 147 और 2020 का 148।

मुकुल रोहतगी, वी. गिरि, S.Nagamuthu, रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

एम. नागेश कन्ना, एम. थंगा थुराई, एस. राजा राजेश्वरन, कार्तिक आर., सुश्री उमा प्रसुन बाचू, मुथु चरण, सुश्री सुवेता शंकर, ऋषभ संचेती, सुयश रावत, अंचित भंडारी, विष्णु उन्नीकृष्णन, के. परी वेंधन, पी. ए. नूर मुहम्मद, मोकामेद यूसुफ, एस. ए. एस. अलाउद्दीन, अब्दुल रहमान, शेरीफ के. ए., शेख मौलाली बाशा, श्री अंसार उल हक, हार्दिक गौतम, जी. शिवबलामुरुगन, सेल्वराज महेंद्रन, एम. विवेक भारती, टी. हरीश कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

दीपाक गुप्ता, जे. 1. देरी को माफ कर दिया गया। 2. छुट्टी दे दी गई।

3. निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य मुद्दा इस प्रकार हैः " क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट झूठ होगा, रिहाई हासिल करने के लिए

एक व्यक्ति जो सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा लगाए गए कारावास की सजा से गुजर रहा है, यह प्रार्थना करते हुए कि उसे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रिहा किया जाएः

कैदियों की पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए कुछ सरकारी आदेश/नियम?

4. शुरुआत में, हम उल्लेख कर सकते हैं कि 17.10.2019 पर हमारे पास था

दो मुद्दों को तैयार किया। हमने पहले अंक और करीब [2020] 1 एस. सी. आर. को फिर से तैयार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारा विचार है कि दूसरा मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है

इस मामले में। अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल

भारत का संविधान जी. ओ. जारी किया गया। (सुश्री) No.64 दिनांकित

18 गृह (कारागार-IV) विभाग, सरकार के माध्यम से

जिसमे जन्म के अवसर पर दोषी कैदियों की रिहाई के मामलों पर विचार करने के लिए एक योजना तैयार की गई थी।

श्री एम. जी. रामचंद्रन, तमिल के पूर्व मुख्यमंत्री

योजना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:5.सरकार ने सावधानीपूर्वक जाँच के बाद निर्णय लिया है कि

जीवन के मामलों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाएँ

अनुच्छेद के तहत समय से पहले रिहा करने के लिए कैदियों को दोषी ठहराएँ

161 भारत के संविधान की स्मृति में

एम. जी. रामचंद्रन, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर:

(I) जाँच के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है।

आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समय से पहले रिहाई, मामला

मामले के आधार पर, उपरोक्त पंक्तियों पर।

(i) महानिरीक्षक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति

जेलों के उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), कानूनी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय) सदस्य होंगे।

समिति से।

((ii) द्वितीय स्तर/जिला समिति जिसमें केंद्रीय

महिलाओं के लिए जेल/विशेष जेल, की अध्यक्षता में स्थित संबंधित केंद्रीय कारागार के कारागार अधीक्षक और

अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे समिति।

(iii) संबंधित रेंज के जेल उप महानिरीक्षक और संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी

द्वितीय स्तर की समिति के प्रस्ताव की जांच करें और भेजें

सिफारिश के साथ राज्य स्तरीय समिति के लिए भी।

XXX

XXX

X

XX

इस योजना के तहत, एक राज्य स्तरीय समिति और जिला

ई. ई. एस. का गठन किया गया। जिला समितियों को गृह सचिव (जेल) v पर विचार करना था।

एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

कैदियों के मामले और उनकी सिफारिशें रेंज के जेल उप महानिरीक्षक और क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी को भेजें

जिन्हें इसकी जांच के बाद सिफारिशों के साथ इसे राज्य स्तरीय समिति को भेजना था। इस योजना में आगे निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(II) आजीवन कारावास के दोषी जिन्होंने वास्तविक जीवन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

25.02.2018 के अनुसार कारावास और आजीवन कारावास के दोषी जो हैं जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है और जिन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं

25.02.2018 पर वास्तविक कारावास, जिसमें वे भी शामिल हैं जो

मूल रूप से ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और

की संतुष्टि के अधीन समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया गया निम्नलिखित शर्तें:

1) कैदी का व्यवहार संतोषजनक होना चाहिए।

2) निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदी हैं:

समय से पहले रिहाई के लिए विचार के लिए अयोग्य

सजा की प्रकृति और अवधि और चाहे जो भी हो

तथ्य यह है कि वे गुजर चुके हैं या नहीं

उक्त अपराध के संबंध में सजा अर्थात्:

इसके बाद, योजना में प्रावधान है कि दोषी ठहराए गए कैदी

कुछ अपराध या कुछ अधिनियमों के तहत अपराध इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। इस योजना में अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित भी निर्धारित किए गए हैं:

4) कि रिहा होने पर कैदी के जीवन के लिए सुरक्षा है।

5) कि कैदी को सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाएगा

उनका परिवार।

6) कि परिवार के जीवन की सुरक्षा है जो था कैदी द्वारा प्रभावित, यदि रिहा किया जाता है।

XXX

XXX

X

XX

8) आजीवन कारावास के कैदी समय से पहले दावा नहीं कर सकते।

अधिकार के रूप में रिहा करें "।

7. जहाँ तक वर्तमान मामलों का संबंध है, वे बंदी जिनके

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपराधों सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई थी।

उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उनकी दोषसिद्धि और सजा को इस न्यायालय तक बरकरार रखा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिकाएं थीं

इस आधार पर दायर किया गया कि राज्य ने याचिकाकर्ताओं को ऊपर निर्दिष्ट समयपूर्व रिहाई का लाभ नहीं दिया है, जबकि कई अन्य को लाभ दिया गया है।

8. सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से कुछ महीने पहले अनुरोध किया गया था कि वे

जी. ओ. के संदर्भ में जारी किया जाए। (सुश्री) No.64 दिनांकित 01.02.2018। ये

अभ्यावेदन लंबित थे लेकिन उच्च न्यायालय ने सभी मामलों में लगभग समान शब्दों में कहा है कि "इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि दोषी कैदी जी. ओ. के तहत रिहा होने का हकदार होगा। (सुश्री)। No.64, गृह [जेल-IV] विभाग दिनांक 01.02.2018। हालाँकि, उसे इसके लाभ से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट दोषी कैदी के जीवन के लिए खतरे की सूचना देती है, यदि वह

बड़े पैमाने पर जाने दें "। इसके बाद, उच्च न्यायालय की राय थी कि बंदी को इस आधार पर रिहा करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंदी का जीवन खतरे में था। हालाँकि, इसने निर्देश दिया कि बंदी को सूचित किया जाए कि उसे रिहा करते समय उसकी जान को खतरा हो सकता है। सभी मामलों में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। इन याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है और बंदी प्रत्यक्षीकरण की अनुमति देते हुए, बंदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है

जी. ओ. के संदर्भ में (सुश्री) संख्या 64 दिनांकित 01.02.2018 जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

9. ये आदेश हमारे सामने चुनौती के दायरे में हैं। हमने श्री मुकल रोहतगी और श्री वी. गिरि को सुना है, जो इस पक्ष के विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। अपीलकर्ता, श्री योगेश कन्ना, तमिल राज्य के विद्वान वकील

नाडू और श्री एस. नागमुथु और श्री रत्नाकर दास, निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। 10. राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी करते समय भारत का संविधान। यह है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं को हत्या के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसकी दोषसिद्धि को इस न्यायालय तक बरकरार रखा गया था और इसलिए, किसी भी कल्पना के बिना, क्या यह आग्रह किया जा सकता है कि बंदी को हिरासत में लेना अवैध था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय जी. ओ. के तहत अधिकारियों द्वारा बंदियों के मामलों पर विचार करने का सबसे अच्छा निर्देश दे सकता था। (सुश्री) No.64 दिनांकित 01.02.2018 लेकिन स्वयं बंदी की रिहाई का निर्देश नहीं दे सकती थी।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि गृह सचिव (जेल) v. एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

उच्च न्यायालय ने परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के केवल एक भाग को नोट किया है और कई अन्य प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज किया है।

11. दूसरी ओर, बंदी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने

इस तरह के सैकड़ों आदेश पारित किए लेकिन राज्य ने चुनिंदा रूप से उनमें से कुछ को ही चुनौती देने का विकल्प चुना है। जहाँ तक अधिकारिता का संबंध है, यह बंदी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के संदर्भ में

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए भारत के संविधान में इस प्रकार के रिटों को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के रूप में वर्णित किया गया है और इस प्रकृति के रिट पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे नियमों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के रूप में वर्णित नहीं किया जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट निहित होगा और यह भी आग्रह किया जाता है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंत में बंदियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया कि कैदी बहुत लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं और माफी के सामान्य नियमों के तहत भी वे रिहा होने के हकदार होंगे। यह भी आग्रह किया गया है कि कई अन्य बंदी जो इसी तरह स्थित थे, उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों को हमारे संज्ञान में लाया है। हम ध्यान दे सकते हैं कि इनमें से कई आदेशों में इस न्यायालय ने उस तरीके को मंजूरी नहीं दी है जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है, लेकिन बंदी के लंबे कारावास के कारण रिहाई के आदेश को बरकरार रखा है।

12. हम महसूस करते हैं कि इस मामले को शांत किया जाना चाहिए और कानूनी मुद्दे का फैसला किया जाना चाहिए। जहाँ तक चयनात्मक फाइलिंग की आपत्ति का संबंध है

उच्च न्यायालय द्वारा रिहाई के आदेशों के खिलाफ राज्य की याचिकाओं का संबंध है, कि आपत्ति अर्थहीन है। हम अन्य आदेशों से अवगत नहीं हैं और किसी भी स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक भेदभाव का कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

13. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को सशक्त बनाता है।

अदालतें कुछ रिट जारी करेंगी जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, आदेश, निषेध, यथास्थिति वारंट और प्रमाण पत्र की प्रकृति के रिट शामिल हैं।

मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रवर्तन। इस मामले में, हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से चिंतित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट है

उन सभी मामलों में उपचार के रूप में उपलब्ध है जहां कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है। यह गैरकानूनी या अनुचित हिरासत से नागरिक की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए प्रक्रियात्मक रिट है, चाहे कोई व्यक्ति राज्य द्वारा हिरासत में लिया गया हो या निजी हिरासत में हो। जैसा कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला (जैसा कि वे तब थे) ने अभिनिर्धारित किया; "बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न केवल रिहाई के लिए जारी की जाती है राज्य द्वारा निरोध लेकिन निजी निरोध से रिहाई के लिए भी "। साथ ही, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट झूठ नहीं बोलेगी और इस तरह की प्रार्थना को अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए, जहां उस व्यक्ति की नजरबंदी या कारावास, जिसकी रिहाई की मांग की गई है, अदालत द्वारा या कानून के अनुसार किसी प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार है।

अदालत हमेशा किसी को भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट जारी करेगी जिसके पास है ऐसे व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाने के लिए अपनी हिरासत में व्यथित व्यक्ति, और यदि वह वैध कारण के बिना संयम का सामना कर रहा है, तो उसे मुक्त कर दें। 2

16. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट को "सबसे शक्तिशाली के खिलाफ सबसे निचले व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपचार" के रूप में वर्णित किया गया है। यह ऐसे संप्रभु और दिव्य प्राधिकरण का एक लेख है कि व्यक्ति या स्थान का कोई भी विशेषाधिकार इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है।

17. बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति की नजरबंदी या कारावास कानून के अधिकार के बिना हो। हालांकि

बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का दायरा समय के साथ बढ़ाया गया है और इस रिट का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई पति या पत्नी दावा करता है कि उसके पति या पत्नी को माता-पिता द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यह लिखावट 1 मो. इकराम वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1625 2 ए. वी. डाइसी, संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय, मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड, पी. 215 (1915)

3 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, (चौथा संस्करण) खण्ड. 11 , पैरा 1454 पी। 769 4 न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर और एम. सी. ठक्कर द्वारा संशोधित वी. जी. रामचंद्रन का लेखन नियम, ईस्टर्न बुक कंपनी, पी. 1036 , 6 ए एडन। (2006)

गृह सचिव (जेल) v. एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

कई बार बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। भले ही, दायरे का विस्तार हुआ हो, इस रिट की कुछ सीमाएँ हैं और इस तरह की सीमा का सबसे बुनियादी यह है कि न्यायालय, कोई भी आदेश जारी करने से पहले

बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि बंदी बिना किसी कानून के अधिकार के हिरासत में है।

18. इन मामलों में, बंदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इस तरह उनकी नजरबंदी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। यह निर्णय करना रिट अदालत का काम नहीं है कि कोई कैदी पैरोल या छूट का हकदार है या नहीं और ये मामले पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। 19. सुनील बत्रा (द्वितीय) बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर बंदियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा रिलायंस को रखा गया है। दिल्ली प्रशासन, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर अपने अतुलनीय कार्य में

शैली ने बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र के विस्तार के दायरे से निपटा है। हालाँकि, बंदी प्रत्यक्षीकरण के दायरे पर उनके विचारों का उल्लेख करने से पहले, उस तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख करना होगा जिसके कारण मामला दर्ज किया गया था। सुनील बत्रा को पता चला कि कुछ अन्य कैदियों को हेड वार्डर जेल अधीक्षक द्वारा रिश्तेदारों से पैसे निकालने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने इसे इस न्यायालय के संज्ञान में लाया और इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उनकी याचिका पर विचार करते हुए कहा कि "ये कार्यवाहियां, जो हालांकि पूरी तरह से पारंपरिक नहीं हैं, स्पष्ट रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की प्रकृति में हैं और इसलिए, अनुच्छेद 32 के व्यापक दायरे में हैं"। जिस तरह से जेल में कैदियों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया गया था, अदालत ने उस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर विचार किया और इस संदर्भ में अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 5 ..... जेल घर भारतीय पृथ्वी का हिस्सा हैं और भारतीय संविधान को जेल अधिकारियों द्वारा 'थोड़े, संक्षिप्त अधिकार के कपड़े पहने' नहीं रोका जा सकता है, जब एक दोषी द्वारा भाग III का आह्वान किया जाता है। क्योंकि जब कोई कैदी सदमे में होता है, तो संविधान को झटका लगता है। और जब अदालत इस तरह की हिंसा और उल्लंघन का संज्ञान लेती है, तो यह हाउंड ऑफ हेवन की तरह करता है, 'लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा करते हुए, और निर्बाध गति से, जानबूझकर गति और भव्य क्षण के साथ' आधिकारिक अपराधी का पीछा करते हैं और गैरकानूनी साहस का तिरस्कार करते हैं।

जारी किया जा सकता है पारंपरिक ब्लिंकर और अदालत से परे जा रहा है 5 (1980) 3 एससीसी 488 [2020] 1 एस. सी. आर.

सजा के दौरान कैदी को किस तरीके से रखा जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसकी जांच करनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसलिए, जब किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है; चाहे जांच के दौरान रिमांड के आदेश के तहत, धारा के तहत जारी किया जाता है।

167 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, या एक विचाराधीन के रूप में उसे जमानत की सुविधा से वंचित करके, या दोषसिद्धि के बाद; वह न्यायालय के आदेशों के कारण सलाखों के पीछे है। वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को उससे वंचित करता है

कानून के अनुसार स्वतंत्रता की यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि ऐसा व्यक्ति जेल में होने के बावजूद दूसरे से वंचित न रहे। मौलिक अधिकार जिनका वह हकदार है। इसलिए, इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो सलाखों के पीछे है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है या उसकी स्वतंत्रता से वंचित है, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के उपयुक्त शब्दों में:

" 26. जहाँ अन्याय, अमानवीयता पर आधारित, भाग III में गारंटीकृत मानवाधिकारों की हैकिंग से उभरता है और पीड़ित अदालत से हस्तक्षेप करने और राहत देने का अनुरोध करता है, यह न्यायालय एक संवैधानिक साधन के रूप में एक कार्यात्मक निरर्थकता होगी यदि इसकी बंदूकें तब तक कार्रवाई में नहीं जाती हैं जब तक कि गलत को सही नहीं किया जाता है। अदालत किताबों में एक दूर की अमूर्त सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि एक सक्रिय संस्था है जो

जनता की आशा का संकेत। हम मानते हैं कि अदालत रिट जारी कर सकती है

नई चुनौतियों का सामना करें। लॉर्ड स्कारमैन की इसी तरह की चेतावनी, में

उनका अंग्रेजी कानून-नए आयाम, एक है

प्रोत्साहन शकुन। आपत्ति, यदि कोई हो, अप्रचलित है क्योंकि

जेल की स्थिति, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ [सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। , (1978) 4 एस. सी. सी. 494 और सोबराज (1978) 4 एस. सी. सी. 494] ने जेल अधिकारियों की शक्तियों को कैद कर लिया, ताकि किसी पर लोहे की बेड़ियों के तहत मुकदमा चलाया जा सके या अपील के तहत मौत की सजा वाले दोषियों को एकांत कोठरी में रखा जा सके। 27. एक बार अधिकारिता प्रदान किए जाने के बाद-और हम स्पष्ट शब्दों में पुष्टि करते हैं कि न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत और इसलिए भी अनुच्छेद 226 के तहत एक स्पष्ट शक्ति है और इसलिए, उन्हें राहत देने का सार्वजनिक कर्तव्य है।

जेल की व्यवस्था में सजा-अगला सवाल है

उस अधिकार क्षेत्र के खेल के लिए न्यायशास्त्रीय समर्थन। यहाँ फिर से, सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। , (1978) 4 एस. सी. सी. 494 ने एक पगडंडी को रोशन कर दिया है,

और यह बांधता है।

28. क्या कैदी लोग हैं? हां, जरूर। जवाब देने के लिए

नकारात्मक राष्ट्र को दोषी ठहराना है और गृह सचिव का संविधान (जेल) v।

एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

अमानवीकरण और विश्व कानूनी व्यवस्था को अस्वीकार करना, जो अब अंतर्राष्ट्रीय वाचा में कैदियों के अधिकारों को मान्यता देता है

कैदियों के अधिकार जिन पर हमारे देश ने हस्ताक्षर किए हैं। सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। , (1978) 4 एस. सी. सी. 494, इस न्यायालय ने हाथ बंद करने के सिद्धांत को खारिज कर दिया है और यह फैसला सुनाया गया है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के जेल में प्रवेश करते ही भाग नहीं जाते हैं, हालांकि उन्हें कारावास के कारण आवश्यक सिकुड़न का सामना करना पड़ सकता है। हमारी संवैधानिक संस्कृति अब जेल न्याय और न्यायिक व्यवस्था के पक्ष में स्पष्ट हो गई है

अधिकार क्षेत्रः (एस. सी. सी पी. 504, पैरा 4)

" जेल की सनक और क्रूरता को संवैधानिक बंधन में रखने के लिए इस न्यायालय की रिट की क्षेत्राधिकार पहुंच और सीमा निर्विवाद है, लेकिन प्रशासनिक विवेक में छेड़छाड़ करना कानूनी है।

अभिशाप, संवैधानिक अधिकारों या निर्धारित उल्लंघनों की अनुपस्थिति

प्रक्रियाएँ "। 99

एक कैदी द्वारा एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। 21. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट उस व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जा सकता है जो हिरासत में है यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है वह यह है कि क्या वर्तमान मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई अधिकार है।

बंदी का उल्लंघन किया गया था जिसके कारण उसे जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया जा सकता था। हम कर्नल डॉ. बी. रामचंद्र राव बनाम में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दे सकते हैं। उड़ीसा राज्य और अन्य। , जिसमें इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश देने वाले न्यायालय के आदेश अवैध थे।

इस मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" 5 ..... यह न्यायालय, एक सामान्य नियम के रूप में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए कार्यवाही में ऐसे विवादों में नहीं जाता है। ऐसी रिट तब नहीं दी जाती है जब कोई व्यक्ति किसी आदेश द्वारा एक सक्षम अदालत द्वारा जेल हिरासत के लिए प्रतिबद्ध होता है जो प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र के बिना या पूरी तरह से अवैध नहीं प्रतीत होता है और हम संतुष्ट नहीं हैं कि वर्तमान ऐसा मामला नहीं है।

22. कानू सान्याल बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग 'इस न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" 4. बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के इस संक्षिप्त इतिहास से यह देखा जाएगा कि यह अनिवार्य रूप से एक प्रक्रियात्मक रिट है। इससे निपटता है

6 (1972) 3 एससीसी 256

7 (1973) 2 एससीसी 674 [2020] 1 एस. सी. आर.

न्याय की मशीनरी, न कि मूल कानून। का उद्देश्य रिट उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए है जिसे अवैध रूप से प्रतिबंधित किया गया है

उसकी स्वतंत्रता।

23. मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य और अन्य 3,

इस अदालत के समक्ष रिमांड के आदेश को चुनौती दी गई थी। बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, जिनका हम विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन सभी पर इस निर्णय में विचार किया गया है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से या पूरी तरह से अवैध। 24. सौरभ कुमार बनाम। जेलर, कोनेला जेल ", यह अदालत आई।

इस निष्कर्ष तक कि याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में था और इसलिए, इसे अवैध हिरासत में नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, जैसा कि वे उस समय थे, ने अपने सहमति वाले फैसले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 22. एकमात्र प्रश्न जिसके बारे में हम चिंतित हैं

उपरोक्त पृष्ठभूमि यह है कि क्या याचिकाकर्ता को गैरकानूनी हिरासत में कहा जा सकता है। इस सवाल का हमारा जवाब नकारात्मक है। जिस अभिलेख का हमने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, उससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपराधों के लिए अभियोजन का सामना करने वाला एक आरोपी है,

जिसका संज्ञान सक्षम द्वारा पहले ही लिया जा चुका है

अदालत। वह वर्तमान में रिमांड के आदेश के अनुसार हिरासत में है।

उक्त न्यायालय द्वारा किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट, में है

परिस्थितियाँ, पूरी तरह से गलत हैं। " 25. महाराष्ट्र राज्य में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

और अन्य वी। तसनीम रिज़वान सिद्दीकी "जिसमें यह कहा गया था कि अदालत द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार जब बंदी हिरासत में था तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी। जहाँ तक वर्तमान मामलों का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि बंदी सलाखों के पीछे हैं

8 (2013) 1 एस. सी. सी. 314 9 9 रणजीत सिंह बनाम। पेप्सू राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 843, उम्मू सबीना बनाम। केरल राज्य, (2011) 10 एस. सी. सी. 781, मधु लिमये और अन्य के मामले में, (1969) 1 एस. सी. सी. 292, तालिब हुसैन बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य, (1971) 3 एस. सी. सी. 118, संजय दत्त बनाम। राज्य (II), (1994) 5 एस. सी. सी. 410

11 (2018) 9 एस. सी. सी. 745 द होम सेक्रेटरी (प्रिज़न) v. एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा उन पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के अनुसार और इस अदालत द्वारा पुष्टि की गई, जिसके तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

26. गोपाल विनायक गोडसे बनाम में आजीवन कारावास के अर्थ से निपटना। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1 2 इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" ..... जब तक भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त सजा को कम नहीं किया जाता है या माफ नहीं किया जाता है, तब तक एक कैदी आजीवन कारावास की सजा कानूनी रूप से आजीवन कारावास की सजा देने के लिए बाध्य है

जेल में सजा "।

इसके बाद, मारू राम बनाम में एक संविधान पीठ। भारत संघ ने गोपाल विनायक गोडसे के मामले (उपरोक्त) में इस विचार को मंजूरी दी और कहा कि "आजीवन कारावास अंतिम सांस तक रहता है।"

27. हम यह भी बताना चाहेंगे कि छूट या पैरोल का अनुदान कैदी के पास निहित अधिकार नहीं है। यह कुछ शर्तों को पूरा करने पर कैदी के लिए उपलब्ध एक विशेषाधिकार है। यह एक विवेकाधीन शक्ति है जिसका उपयोग ऐसी शक्तियों से सम्मानित अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

संबंधित नियमों/विनियमों के तहत। न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, हालांकि एक बार शक्तियों का प्रयोग होने के बाद, न्यायालय यह मान सकता है कि

शक्तियों का प्रयोग नियमों के अनुसार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में बंदी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने मद्रास उच्च न्यायालय के नियमों पर भरोसा किया और नियमों के नियम 1 का उल्लेख किया जो इस प्रकार है:

" निर्देश, आदेश या रिट के लिए एक याचिका, जिसमें रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टिओरारी, क्वो वारेंटो शामिल हैं। प्रतिबंध

या प्रमाणित मैंडमस या कोई अन्य रिट में होगा

तथ्यों वाले शपथ पत्र के साथ याचिका का रूप,

आधार और प्रार्थना "।

उन्होंने नियमों के नियम 11,12 और 13 का भी उल्लेख किया है जो विशेष रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से संबंधित हैं और जिन्हें नीचे पढ़ा गया है:

नियम 11:

" सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में, याचिका के कारण शीर्षक के साथ-साथ शपथ पत्र में, निम्नलिखित खंड

12 (1961) 3 एससीआर 440

" (निरोध के मामले में) (निरोध के आदेश में पाए जाने वाले निरोध का पूरा नाम) "। पूर्ण कारण शीर्षक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और समर्थन शपथ पत्र दोनों में निर्धारित किया जाना चाहिए। नियम 12:

" प्रत्येक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में निम्नलिखित प्रारूप में एक अनुसूची होनी चाहिएः

(i) बंदी का नाम

:

((ii) पिता/पति का नाम

:

((ग) आयु

((iv) स्थायी पता

(v) पहचान चिह्न/(जैसा पाया गया है)

निरोध के क्रम में)

:

(vi) निरोध आदेश की तिथि

(vii) संदर्भ संख्या

नजरबंदी आदेश

:

(viii) जेल का नाम, जहाँ

हिरासत में लिया गया है

(ix) जेल संख्या

:

" "

नियम 13:

" याचिकाकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा घोषणा के बाद

शपथ-पत्र को सहायक शपथ-पत्र के अंतिम पैराग्राफ के रूप में शामिल किया जाना चाहिए: "
याचिकाकर्ता घोषणा करता है कि इस अदालत या किसी अन्य के समक्ष कोई अन्य बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर या स्थानांतरित नहीं की गई थी

उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक साथ उसी बंदी व्यक्ति या व्यक्ति के शव को पेश करने या गृह सचिव (कारागार) के विवादित आदेश को चुनौती देने की मांग करना।

एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

नजरबंदी। याचिकाकर्ता आगे घोषणा करता है कि ऊपर दिए गए तथ्य उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और सही हैं और नहीं।

सामग्री को छुपाया या दबा दिया गया है।

28. उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन यह शक्ति निम्नलिखित के अधीन है -

भारत के संविधान के प्रावधानों और उपयुक्त विधानमंडल के किसी भी कानून के प्रावधानों के लिए। अनुच्छेद 225 इस प्रकार हैः

" 225. विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। - इस संविधान के प्रावधानों और इस संविधान द्वारा उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उपयुक्त विधानमंडल की किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी मौजूदा उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि और न्यायालय में न्याय के प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की संबंधित शक्तियां, जिसमें न्यायालय के नियम बनाने और अकेले या खंड न्यायालयों में बैठने वाले न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों को विनियमित करने की कोई शक्ति शामिल है, तुरंत समान होंगी।

इस संविधान के प्रारंभ से पहलेः

बशर्ते कि कोई भी प्रतिबंध जिसके लिए किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व से संबंधित किसी मामले के संबंध में या आदेशित या किए गए किसी कार्य से संबंधित मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है।

एकर संग्रह सँ ठीक पहिने विषय छल

इस संविधान का प्रारंभ अब लागू नहीं होगा

ऐसी अधिकारिता का प्रयोग "।

29. बंदी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने नियम 11,12 और 13 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक याचिकाकर्ता नियम 12 के संदर्भ में निरोध आदेश, जेल का नाम जहां बंदी को हिरासत में रखा गया है, जेल संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं और निरोध के आदेश को चुनौती नहीं देते हैं, तब तक रिट पर विचार नहीं किया जाएगा। ए को क्या विवरण दिया जाना चाहिए

रिट का निर्णय उच्च न्यायालय को करना है। लेकिन नियम ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते जो संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। हम अन्यथा बंदी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को स्वीकार करने में भी असमर्थ हैं क्योंकि नियम स्पष्ट रूप से हिरासत/निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित हैं जहां बंदी हिरासत में है। यदि वह अभिरक्षा वैध है तो स्पष्ट रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता है।

बंदी की रिहाई। हमारा यह भी विचार है कि केवल इसलिए कि नियम प्रदान करते हैं कि याचिका में निरोध आदेश के विवरण में, जेल [2020] 1 एस. सी. आर.

आदि, दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट

30. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि भले ही बंदी निजी हिरासत में हो, फिर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट है। झूठ बोलेगा। यदि नियम संविधान के नहीं बल्कि स्वामी होते हैं, तो संभवतः मद्रास उच्च न्यायालय में निजी निरोध के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट स्वीकार नहीं की जाएगी। यह भारत के संविधान की भावना के खिलाफ होगा। इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि नियमों का संदर्भ किसी भी तरह से सहायक नहीं है।

31. वर्तमान मामले में हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय जी. ओ. के तहत किसी याचिकाकर्ता की रिहाई का निर्देश दे सकता है। (सुश्री) No.64 दिनांकित 01.02.2018। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। इन सभी मामलों में, बंदियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया था। हमारी राय में, उचित

न्यायालय के लिए पाठ्यक्रम यह निर्देश देना था कि बंदियों के अभ्यावेदन पर कम समय के भीतर निर्णय लिया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योजना में परिवीक्षा अधिकारी की एक रिपोर्ट की परिकल्पना की गई है, जिला स्तरीय समिति द्वारा एक संदर्भ और उसके बाद मामले को संबंधित रेंज उप महानिरीक्षक और क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष और उसके बाद राज्य स्तर के समक्ष रखा जाना है।

समिति, हम महसूस करते हैं कि उस समय के आधार पर 2 से 3 महीने का अनुदान देना उचित होगा जब राज्य को उनसे निपटने के लिए अभ्यावेदन दायर किया गया था। जब याचिका अभ्यावेदन दाखिल करने से कुछ दिन पहले दायर की जाती है तो न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए 3 महीने तक का समय देना उचित हो सकता है। तथापि, यदि प्रतिनिधित्व है

कुछ महीने पहले दाखिल किया गया और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध है तो कम समय दिया जा सकता है। कोई कठोर और त्वरित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन न्यायालय को प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य को उचित समय देना चाहिए। हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि न्यायालय स्वयं इस स्तर पर योजना के तहत रिहा किए जाने के लिए बंदी की पात्रता की जांच नहीं कर सकता है। ऊपर बताए गए विभिन्न कारक हैं जिन पर समितियों को विचार करना होगा। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट उनमें से केवल एक है। उसके बाद, जिला समिति को एक सिफारिश करनी होती है और अंत में यह राज्य स्तरीय समिति होती है जो इस मामले पर अंतिम निर्णय लेती है। हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने गृह सचिव (कारागार) v की रिहाई का निर्देश देने में गलती की।

एच. निलोफर निशा

[दीपाक गुप्ता, जे।]

पहले सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिए बिना तुरंत हिरासत में लिया गया

इस मामले में निर्णय लें। केवल इसलिए कि मद्रास उच्च न्यायालय में लंबे समय से इस तरह के रिट जारी करने की प्रथा का पालन किया गया है, इन आदेशों को वैधता के साथ नहीं पहना जा सकता है यदि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना हैं। पूर्व अभ्यास या यह तथ्य कि राज्य ने कुछ आदेशों को चुनौती नहीं दी है, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ये आदेश कानूनी हैं।

32. यदि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रश्नगत जी. ओ. के पैरा 5 (1) के संदर्भ में राज्य स्तरीय समिति के किसी भी निर्णय (ओं) के बिना एक याचिका दायर की जाती है, तो न्यायालय को संबंधित समिति को निर्देश देना चाहिए /

उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने का अधिकार। जाहिर है, बहुत अधिक समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर है। यह आदेश राज्य को योजना के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रकृति में अधिक होगा। यदि अधिकारी योजना के तहत लाभ देने से इनकार करते हैं तो उन्हें एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए। एक बार एक तर्कपूर्ण आदेश पारित हो जाने के बाद स्पष्ट रूप से बंदी को उस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन वह फिर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं होगी, बल्कि प्रमाण पत्र की रिट की प्रकृति में अधिक होगी। ऐसे मामलों में, जहां तर्कपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं, उच्च न्यायालय मामले के रिकॉर्ड के लिए बुला सकता है, उसी की जांच कर सकता है और योजना के मापदंडों के संदर्भ में उसी की जांच करने के बाद यह तय कर सकता है कि समय से पहले रिहाई के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाला आदेश उचित है या नहीं। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदेश एक उचित आदेश नहीं है तो जाहिर है कि यह कैदी को योजना का लाभ देकर उसकी रिहाई का निर्देश दे सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राज्य, जी. ओ. के संदर्भ में उसे रिहा करने के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। (सुश्री) No.64 दिनांकित 01.02.2018 न्यायालय के आदेशों के बावजूद। यदि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो न्यायालय को मामले के रिकॉर्ड को फिर से बुलाना और नीति के संदर्भ में उसी की जांच करना और फिर आदेश पारित करना उचित होगा।

33. जहाँ तक वर्तमान मामलों का संबंध है, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के पास यद्यपि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट थी, परिवीक्षा अधिकारी के आदेश की केवल एक पंक्ति को नोट किया है न कि पूरी रिपोर्ट (ओं) को। सभी मामलों में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट लगभग समान होती है। रिपोर्ट में से एक इस प्रकार हैः

[2020

] 1 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" समय से पहले रिहाई के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट

एक कैदी

39/2018 तिथि 07.02.2018

मैं।

कोई कैदी संख्या 4346, अबूथ अहिर पुत्र हुसैन, केंद्रीय जेल,

कोइम्बाटो रे

&

नाम

यदि उपर्युक्त कैदी यदि

1

समय से पहले रिहा किया गया

यह ज्ञात था

इस दौरान

((क) इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

जाँच कि कुछ

जगह

हो सकती हैं समस्याएं

(ख) मानसिक भावनाएँ क्या होंगी?

दुश्मनी अभी भी बनी हुई

है

मृतक के परिजन

फा मिली

हां।

((ग) हैं।

द.

सदस्य/रिश्तेदार होने की संभावना

को

उसे अपने गुट में स्वीकार करें और अपने पुराने रिश्ते को नवीनीकृत करें

खतरा है कि

(घ) क्या कैदी का जीवन होगा?

हो सकता है।

जीवन की

2

स्थानीय उप निरीक्षक की रिपोर्ट

के आयुक्त

हानि के संबंध में पुलिस

पुलिस, कोइम बा ने शहर को फाड़ दिया

शांति अगर कैदी है

उन्होंने कहा है कि

समय से पहले रिहा किया गया,

समय से पहले रिहाई

पर

पिछली शत्रुता का लेखा-जोखा

कैदी बनाएगा

दस सियोन

धार्मिक

विषय पर

आधार

कैदी का पिछला आचरण

संतोषजनक।

3

और इतिहास का सार

जेल आर

क्या कैदी को पुरस्कृत किया गया है?

नहीं।

4

पहले कोई सजा

क्या कैदी के पास कोई है?

स्थायी पता है

5

संपत्ति और

उपलब्ध है और

स्थायी

नहीं।

उसके नाम पर निवास? यदि ऐसा है तो

किसी भी संपत्ति का मालिक होना

उसका मूल्य।

क्या कोई रिश्तेदार जमानतदार हैं?

6

हां।

कैदी के लिए? यदि हाँ, तो पूरा करें।

पता और स्थिति हो सकती है

सुसज्जित

7

क्या कैदी कमा पाएगा?

हां।

समय से पहले आजीविका

जारी किया गया

क्या हत्या की वजह से हुई थी

हत्या की घटना

8

किसी सामाजिक या धार्मिक

घटित हुआ

दू ई

को

धार्मिक समस्याएं और

शत्रुता या आत्म संतुष्टि

दुश्मनी अभी भी मौजूद है

और क्या दुश्मनी अभी भी मौजूद है या

नहीं?

उस दौरान उनका व्यवहार क्या था?

9

उसे रिहा कर दिया गया।

जिस अवधि में उन्हें रिहा किया गया था

पुलिस एस्कॉर्ट के साथ छुट्टी

लें

अच्छे के वादे पर छोड़ दें

व्यवहार?

के लिए समय से पहले रिलीज है

अनुशंसित नहीं है

10

कैदी की सिफारिश करें

परिवीक्षा अधिकारी की टिप्पणी

11

उपरोक्त के लिए कहा गया है

कारण, मुझे सूचित करना है

समय से पहले जारी करने पर

जेल आर

कि कैदी नहीं है

के लिए अनुशंसित

समय से पहले रिहाई

एसडी /

परिवीक्षा अधिकारी,

डिवीजन I, जेल

विभाग,

कोयंबटूर 64 1037 गृह सचिव (जेल) v. एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

यद्यपि प्रासंगिक कॉलम कॉलम संख्या 1 (बी), 1 (डी), 2,8,9,10 और 11 हैं, उच्च न्यायालय ने केवल 1 (डी) में बताई गई बातों पर ही विचार किया है और

परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। अन्य मामलों में भी, इसी तरह के अवलोकन हैं लेकिन इन्हें केवल पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोहराया नहीं जा रहा है।

34. हमने प्रत्येक मामले के रिकॉर्ड की जांच की है और अब हम करेंगे

प्रत्येक मामले को अलग से निपटें।

आपराधिक आवेदन संख्या (एस)। 144 2020 का

(@ विशेष छूट याचिका (सी. आर. एल.) सं. 626 2020 का)

(@ विशेष छूट याचिका (सी. आर. एल.) डी. नहीं। 18046 ओ.

2019)

35. बंदी की आयु लगभग 21 वर्ष थी जब उसे हिरासत में लिया गया था।

17 साल से अधिक समय बीत चुका है और उनकी उम्र अब लगभग 38 साल है। हमें सूचित किया जाता है कि जेल में कारावास की अवधि के दौरान, उन्होंने निम्नलिखित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं:

$ 1 . अवधि

कोर्स

नहीं।

मई 2007

कंप्यूटर में स्नातक

1)

आवेदन

रेडियो और टी. वी. मरम्मत

2)

06.03.2009 को

05.09.2009

मई 2010

मास्टर ऑफ कंप्यूटर

3)

आवेदन

4) + जनवरी 2013

डेस्क शीर्ष प्रकाशन

एसएल

मई 2013

5)

मास्टर ऑफ बिजनेस

मानव में प्रशासन

संसाधन

6)

जुलाई 2013

पीजी डिप्लोमा

7)

जानकारी और

07.10.2013

संचार प्रौद्योगिकी

विद्युत तारों

8)

04.09.2013 को

03.12.2013

9) जनवरी 2014

एमए (अपराध विज्ञान और आपराधिक)

न्यायमूर्ति एडमिरल ट्रासन)

10) जनवरी 2014

कंप्यूटर में डिप्लोमा

हार्डवेयर सर्विसिंग

11) मई 2014

एम. ए. (पत्रकारिता और जनसंचार)

संचार)

12) जून 2014

मीडिया आर्ट में डिप्लोमा

सिलाई और कढ़ाई

13) 10.03.2014 को

09.09.2014

14)

19.02.2015 मशरूम की खेती में

25.02.2015

अंतर्राष्ट्रीय में पीजी डिप्लोमा

15) मई 2015

कारोबार

कार्यक्रमः एमटीएम

16) जुलाई 2016

मार्गदर्शन में प्रमाण पत्र

17) जुलाई 2016

कार्यक्रम पीजी डी. डी. एम.

18) जुलाई 2016

कार्यक्रमः एसीआईएसई

19) जुलाई 2016

20)

अग्नि और सुरक्षा प्रबंधन

मई 2016

में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री

21) जून 2016

यह युवक जिसने एक जघन्य अपराध किया होगा, उसने कंप्यूटर अनुप्रयोग में परास्नातक सहित विभिन्न डिग्री प्राप्त की हैं।

मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री और आपराधिक न्याय प्रशासन और पत्रकारिता और जन संचार में एम. ए. और विभिन्न अन्य व्यावसायिक डिप्लोमा। सीखना।

जिसे उसने जेल में प्राप्त किया है, उसे बाहर उपयोग में लाया जाना चाहिए। जेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जेल में उसका व्यवहार संतोषजनक रहा है। उसके खिलाफ एकमात्र आधार यह है कि उसने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या की थी और इसलिए, यह कहा जाता है कि कुछ धार्मिक शत्रुता अभी भी प्रबल हो सकती है। यह रिकॉर्ड में आया है कि कई मौकों पर, वह पुलिस सुरक्षा में अपने पैतृक स्थान पर वापस चला गया है। हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां हमें इस प्रतिवादी को मुकदमे के दूसरे दौर में नहीं भेजना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हम प्रतिवादी की रिहाई का निर्देश देते हैं।

आपराधिक आवेदन संख्या (एस)। 145 2020 का

(@ विशेष छूट याचिका (सी. आर. एल.) सं. 627 2020 का)

(@ विशेष छूट याचिका (सी. आर. एल.) डी. नहीं। 18016 ओ.

2019)

36. इस मामले में बंदी की उम्र अब लगभग 43 वर्ष है और हमें सूचित किया जाता है कि जेल में कैद की अवधि के दौरान, उसने निम्नलिखित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को पूरा कियाः

(i) मद्रास विश्वविद्यालय से बी. बी. ए., मई, 2008;
(ii) तमिलनाडु ओपन से हार्डवेयर सर्विसिंग में डिप्लोमा

विश्वविद्यालय, जनवरी, 2014;

((iii) दक्षिण हिंदी प्रचार सभा से हिंदू पाठ्यक्रम;
(iv) कार्यशाला और बेकरी और कन्फेक्शनरी दिनांक 12

13.09.2008 ;

(v) तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय से कला और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर (प्रथम श्रेणी) की डिग्री, जून 2014;
(vi) श्रम और रोजगार मंत्रालय से मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, 18.11.2003;

(vii) सरकार से इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रमाण पत्र। पॉलिटेक्निक,

03.12.2013 ; गृह सचिव (जेल) v. एच. निलोफर निशा [दीपाक गुप्ता, जे.]

(viii) दो पहिया वाहनों की मरम्मत के लिए प्रशिक्षण, 18.03.2010;

(ix) तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय में किया गया चार पहिया तंत्र में डिप्लोमा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम दिनांक 30.04.2013;
(x) दिनांक जनवरी में डी. टी. पी. प्रचालक में व्यावसायिक डिप्लोमा किया गया,

2013 तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय में;

(xi) तमिलनाडु में कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसिंग में डिप्लोमा

मुक्त विश्वविद्यालय, जनवरी, 2014।

हमें यह भी सूचित किया जाता है कि इस मामले में बंदी 42 बार (89 दिन) आपातकालीन छुट्टी पर जा चुका है और अदालत के आदेश से उसे जेल भेज दिया गया है।

2 (37 दिन) बार छुट्टी दी गई और उक्त अवसरों के दौरान, न तो उसे जान का खतरा था और न ही कोई कानून और व्यवस्था की समस्या थी।

37. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां हमें इस प्रतिवादी को मुकदमे के दूसरे दौर में नहीं भेजना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हम प्रतिवादी की रिहाई का निर्देश देते हैं।

2019 का Crl.Appeal संख्या 146/2020 @एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.7697 38.
इस मामले में बंदी अब लगभग 38 साल का है और हम

सूचित किया जाता है कि जेल में कारावास की अवधि के दौरान, उन्होंने निम्नलिखित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं:

1. तमिलनाडु से कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसिंग में डिप्लोमा

मुक्त विश्वविद्यालय;

विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

2 .

मद्रास;

विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

3 .

मद्रास।

39. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां हमें इस प्रतिवादी को मुकदमे के दूसरे दौर में नहीं भेजना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हम प्रतिवादी की रिहाई का निर्देश देते हैं।

2020 का Crl.Appeal संख्या 148 @2019 का SLP (CRL) No.11494

40. इस मामले में बंदी की उम्र अब लगभग 39 साल है और हम

सूचित किया जाता है कि जेल में कारावास की अवधि के दौरान, उन्होंने निम्नलिखित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल, तमिल से उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम

नाडू;

मद्रास विश्वविद्यालय से इतिहास में कला स्नातक;

2 .

3 . मद्रास विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स;

4 . तमिलनाडु से मानवाधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

मुक्त विश्वविद्यालय;

5 . अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

6 . मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मानव संसाधन)

भरतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर;

7 . एम. ए. अपराध विज्ञान और आपराधिक न्याय प्रशासन

तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय।

41. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इन परिस्थितियों में हमें इस प्रतिवादी को राष्ट्र के दूसरे दौर में नहीं भेजना चाहिए। इसलिए, अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग करते हुए

हम प्रत्यर्थी की रिहाई का निर्देश देते हैं।

2020 का Crl.Appeal संख्या 147 @2019 का SLP (CRL) No.6159

42. इस मामले में बंदी की उम्र अब लगभग 46 साल है और हम

सूचित किया कि जेल में कारावास की अवधि के दौरान, उन्होंने

उन्होंने निम्नलिखित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कियाः

(i) आठवीं कक्षा पूरी की;

(ii) तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय में माध्यमिक (पी. पी. एस.) के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम दिनांक 23.11.2012;

((ग) 10 वीं कक्षा पूरी की हो।

((iv) 12 वीं कक्षा पूरी की हो। (v)

चार पहिया तंत्र में डिप्लोमा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम दिनांक 30.04.2013 तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय में किया गया;

(vi) मई, 2017 और जून, 2018 में किया गया बी. साहित्य

भरतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर;

(vii) दिनांक जून, 2017 को डी. टी. पी. प्रचालक में व्यावसायिक डिप्लोमा किया गया।

43. हम पाते हैं कि इस मामले में बंदी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 (बी) के तहत एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और धारा 4 (ए) के तहत दोषी ठहराया गया था और 4 (ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा और इन धाराओं में से प्रत्येक के तहत 5 साल के कारावास और 4 साल के कारावास की सजा दी गई थी। दोषसिद्धि का यह निर्णय और

सजा जी. ओ. की तारीख के बाद होती है। (सुश्री) नंबर 64 दिनांकित 01.02.2018 विचाराधीन है और इसे भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, जहां तक इस मामले का संबंध है, हम सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि -

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और आज से 6 सप्ताह के भीतर इसका फैसला करें। यदि राज्य बंदी की याचिका को अस्वीकार कर देता है तो एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होगा और उस स्थिति में बंदी उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा। 44. बंदी को टाडा मामले में भी दोषी ठहराया गया था, लेकिन इस अदालत ने उस दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया है और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

45. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निर्णय को दरकिनार कर देते हैं।

उच्च न्यायालय से। जहाँ तक 2020 की आपराधिक अपील संख्या 144 @एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) की बात है। नहीं। 626 2020 @एसएलपी (सी. आर. एल.) 2019 की D.No.18046,2020 की आपराधिक अपील संख्या 145 @एसएलपी (सी. आर. एल.) नहीं। 627 2020 @एसएलपी (सी. आर. एल.) 2019 की D.No.18016,2020 की आपराधिक अपील संख्या 146 @

एसएलपी (सीआरएल)। 2019 की No.7697 और 2020 की आपराधिक अपील संख्या 148 @एसएलपी (सी. आर. एल.) 2019 का No.11494, चिंतित है कि बंदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है जब तक कि किसी अन्य मामले में वांछित न हो। जहाँ तक 2020 की आपराधिक अपील संख्या 147 @एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या में निरोध की बात है। 6159 2019 का संबंध है कि राज्य को प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है

आज से 6 सप्ताह के भीतर बंदी। 46. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी